**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1472**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अध्नियम के कार्यान्वयन**

**की स्थिति**

**1472. डा॰ के॰वी॰पी॰ रामचन्द्र रावः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन और 20.02.2014 को राज्य सभा में प्रधन मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों की वर्तमान स्थिति क्या है;**

**(ख) पहले ही पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जा चुके प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;**

**(ग) कार्यान्वित किए जा रहे प्रावधनों और कार्यान्वित किए जाने वाले प्रावधनों का ब्यौरा क्या है तथा इनके विलम्ब के क्या कारण हैं;**

**(घ) अभी तक लागू नहीं किए गए प्रावधनों का ब्यौरा क्या है और उन्हें अब तक लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और**

**(ङ) दोनों उत्तरध्रिकारी राज्यों के बीच परस्पर सहमति के लिए लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के अधिकतर प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा चुका है और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के शेष प्रावधान कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों में हैं। अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और शिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना से संबंधित कुछ प्रावधानों के कार्यान्‍वयन की अवधि लम्बी है, जिसके लिए अधिनियम में दस वर्षों की समयावधि निर्धारित की गई है। जहां तक राज्य सभा में दिनांक 20.02.2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों का संबंध है, उनका कार्यान्वयन भी किया गया है; तथापि, 14वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया था। इसलिए, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, आंध्र प्रदेश को ‘पोस्ट डिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट’ प्रदान किया जा रहा है।

(ङ): आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच कुछ मुद्दे हैं, जिसके लिए दोनों राज्‍यों के बीच आपसी सहमति की आवश्‍यकता है। द्विपक्षीय मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल करने के लिए दोनों राज्‍यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाते हैं। गृह मंत्रालय समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार तथा तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अधिनियम के विभिन्‍न प्रावधानों के कार्यान्‍वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, ऐसी 24 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

\*\*\*\*\*\*\*